(vi) THREATENED STRIKE IN THE NATIONAL SCHOOL OF DRAMA, NEW DELHI

SHRI KAZI JALI ABBASI (Domriagaj): The threatened strike in the National School of Drama, New Delhi, from November 26 is a serious matter. deserving our consideration.

This important institution which has already made a solid contribution to the country's dramatic life and has produced a large number of artists in various disciplines including the film industry, has been witnessing troubled times recently. The suicide of a young student, a few weeks ago, was a very serious matter. And, we are told the causes of the unrest, which culminated in the tragic suicide of a young arist do need our immediate attention.

We have to be careful that no decision is taken in a hurry about selecting a worthy head of the institution. Many things have to be taken into consideration before selecting the new Director against the post that is lying vacant for some time and that has been the cause for much of the unrest, If no one from the products of the School is found capable, some outstanding theatre personality from outside should be invited to head the institution.

A new committee to go into the School's present problems may as well be asked to probe and submit a quick report.

(vii) CANCELLATION OF ARMS LICENCES ISSUED TO DIFFERENT SECTIONS OF SOCIETY

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :(सैदपुर): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री का ध्यान देश के हरिजनों पिछड़े वर्गों अल्पसंख्यकों को दिये जाने वाले पिस्तोलों एवं बन्दूक के सन्दर्भ में ले जाना चाहता हूं आपको स्मरण होगा कि दिनांक 23 नवम्बर 1981 को लोक सभा में अनेक माननीय सदस्यों ने मांग की थी कि इन वर्गों की इनके आत्म-रक्षार्थ उदार भावना से उक्त लाइसेंस वितरित किये जाएं ताकि पीड़ित लोग भी इनका मुकाबला करें।

मान्यवर इसमें सन्देह नहीं कि आज इन वर्गों की लाइसेंस वितरित करने में भारी अनियमितता एवं भाई-भजीतावाद बरता जा रहा है। जातियता के आधार पर केवल उच्च लोगों को आज लाइसेंस दिये जाते हैं। परिणामस्वरूप गांवों में देवली जिला मैनपुरी जैसा नरसंहार निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। मैं इस सन्दर्भ में पूर्वी उत्तर प्रदेश के सैदपुर, वाराणसी, गाजीपुर एवं जौनपुर का उदाहरण देना चाहूंगा। सैदपुर संसदीय क्षेत्र में छोटे-बड़े चार हजार गांव हैं। इन गांवों में कुल 6128 बन्दूकों का लाइसेंस दिया गया है। इसमें से 5,178 लाइसेंस आर्थिक रूप से सम्पन्न एवं ऊंची जाति के लोगों को दिया गया है शेष 950 लाइसेंस छोटे और जाति-व्यवस्था में नीची श्रेणी के लोगों को दिया गया है। आज सैदपुर संसदीय क्षेत्र में 8,000 बन्दूक लाइसेंस हेतु आवेदन विचाराधीन हैं। इनमें से लगभग 6 हजार लाइसेंस केवल छोटी श्रेणी के लोगों के हैं। मान्यवर, यह कहने में जरा सा भी संकोच नहीं होता कि बड़ी जातियों एवं बड़े लोगों को जिलाधीश तथा पुलिस अधीक्षक तुरन्त लाइसेंस दे देते हैं। कमजोर और नीची जाति के लोगों को अनेक प्रकार का बहाना बना कर निराधार कारणों के द्वारा लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया जाता है।

इस सन्दर्भ में मैं आग्रह करूंगा कि इस समस्त नरसंहार की जड़ यह लाइसेंस वितरण प्रणाली ही है। कुछ खास लोगों को बन्दूक और पिस्तौल का अधिक लाइसेंस देना, कुछ को एक भी लाइसेंस

[श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री]

न देना, उनके मनोबल को स्वयं घटाना-बढ़ाना ही कहा जायेगा । जो अधिकारियों की बहुत बड़ी साजिश है ।

मान्यवर, इस सन्दर्भ में मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देश में हत्या, लूट और नरसंहार की घटनाओं पर यदि सरकार काबू पाना चाहती है तो अविलम्ब सभी वर्गों को दिए गए लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, उसका लाइसेंस रद्द कर उसके असलहे जमा करा देने से देश की स्थिति पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है।

कल हरिजनों और आदिवासियों को लाइसेंस देने की बात कही गई। आज मंहगाई की विकट मार से प्रायः आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति चार-पांच हजार रूपये का असलहा नहीं ले पायेगा। जिसके पास अनुचित साधनों से धन इकटठा किया गया है, या जो धनी है, वह अपने घर के सभी व्यक्तियों को बन्दूक खरीदवा सकता है। उसे लाइसेंस भी मिल जायेगा। परन्तु जो गरीब है, वह बन्दूक क्या, एक चाकू भी आज नहीं रख सकता। अतः पूरे देश में लाइसेंस प्रणाली हर हालत में खत्म करनी आवश्यक हो गई है। जहां तक रक्षा का प्रश्न है किसी भी व्यक्ति की जान पर खतरा हो, उसे तुरन्त अंगरक्षक या फोर्स दे देनी चाहिए।

मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी मेरे इस सुझाव पर विचार कर देश में शान्ति व्यवस्था की स्थापना हेतु लाइसेन्स (बन्दूक लाइसेंस) प्रणाली को रद्द करने की कृपा करें और इस सदन को इस सन्दर्भ में लिए गए अपने निर्णय से अवगत कराएं।

(viii) NEED TO OPEN A BRANCH OF SEAMEN EMPLOYMENT OFFICE AT MADRAS

DR. A. KALANIDHI (Madras Central): Sir, there is no branch of Seamen Employment Office at Madras and about 15,000 seamen from the southern region have to go all the way to Bombay or Calcutta for employment etc. Moreover, there is also no agent's office of the Shipping Corporation of India at Madras and all the agents' work are being, at present, looked after by private parties only, leading to the draining of millions of rupees of Government and quasi-government into the hands of a few private persons.

Employment in foreign ships is blocked by the undue restrictions imposed by Emigration authorities. They have to be simplified, or removed totally, to enable the thousands of passport holding seamen to get emplyoment. The concessions available in Government hospitals should be extended to the families of all the 40,000 seamen on par with Government employees.

In the Central Government owned shipping companies and Moghul Line passenger ships, the canteen crews are being employed by the private agencies licensed by the Central Government. The pay for the above canteen crews was fixed at Rs. 850 as the minimum by the National Maritime Board, with the concurrence of the Director-General, Shipping and Transport, representatives of the ship-owners and the unions. But this is not being implemented. Instead, the private agencies pay only Rs. 150 to 200 per month, excluding boarding and lodging. Due to this anomaly and non-implementation of the agreement, the canteen crews of M. V. Childambaram struck work on 27-10-81 at Singapore. The National Union of Seafarers of India has launched direct action. This news was published in the *Indian Shipping*